



2026:AHC:16809

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 2025 का 39562

मो० इसराइल उर्फ इज़राइल उर्फ मो० साहिबा

.....आवेदक

बनाम

उ० प्र० राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आनन्द मोहन पाण्डेय, चन्द्र मोहन पाण्डेय, कृष्ण मोहन पाण्डेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, मुन्ना बाबू

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द मोहन पाण्डेय, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह तथा प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मुन्ना बाबू को सुना गया, तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन तहत धारा 483, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अभियुक्त-आवेदक मो० इसराइल उर्फ इज़राइल उर्फ मो० साहिबा की ओर से थाना सिविल लाइन्स, जिला प्रयागराज में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 127(2), 352, 109(1) एवं आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन पंजीकृत वाद अपराध संख्या 2025 का 203 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण की लम्बितता के दौरान जमानत पर रिहाई की याचना के साथ दायर किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस वाद अपराध संख्या में झूठा आलिप्त किया गया है और दिनांक 9.9.2025 से वह कारागार में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी के वृत्तांत में आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। गोली चलाने की भूमिका सह-अभियुक्त अख्तर पर आरोपित की गई है। उसका 12 मामलों का आपराधिक पूर्ववृत्त है, जिसका पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है और जमानत पर रिहाई की दशा में उसके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने या साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः जमानत की याचना की गई है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की याचना का प्रबल विरोध किया है।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, पुष्टिकर साक्ष्य की प्रकृति, गवाह से छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किन्तु मामले के गुणागुण पर कोई टिप्पणी किये बगैर, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **अनुमत किया जाता है।**

उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक **मो० इसराइल उर्फ इज़राइल उर्फ मो० साहिबा** को सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर वैयक्तिक बन्धपत्र एवं समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये:-

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाये।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्रवाई करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।